# अध्याय – 1
# भारत का संवैधानिक विकास

## ➢ संविधान की परिभाषा :–

- संविधान, किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है।

## ➢ संवैधानिक इतिहास :–

- भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है, और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में है।
- इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान, अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारत का संविधान लिखनें में 2 वर्ष 11 महीनें 18 दिन का समय लगा था।

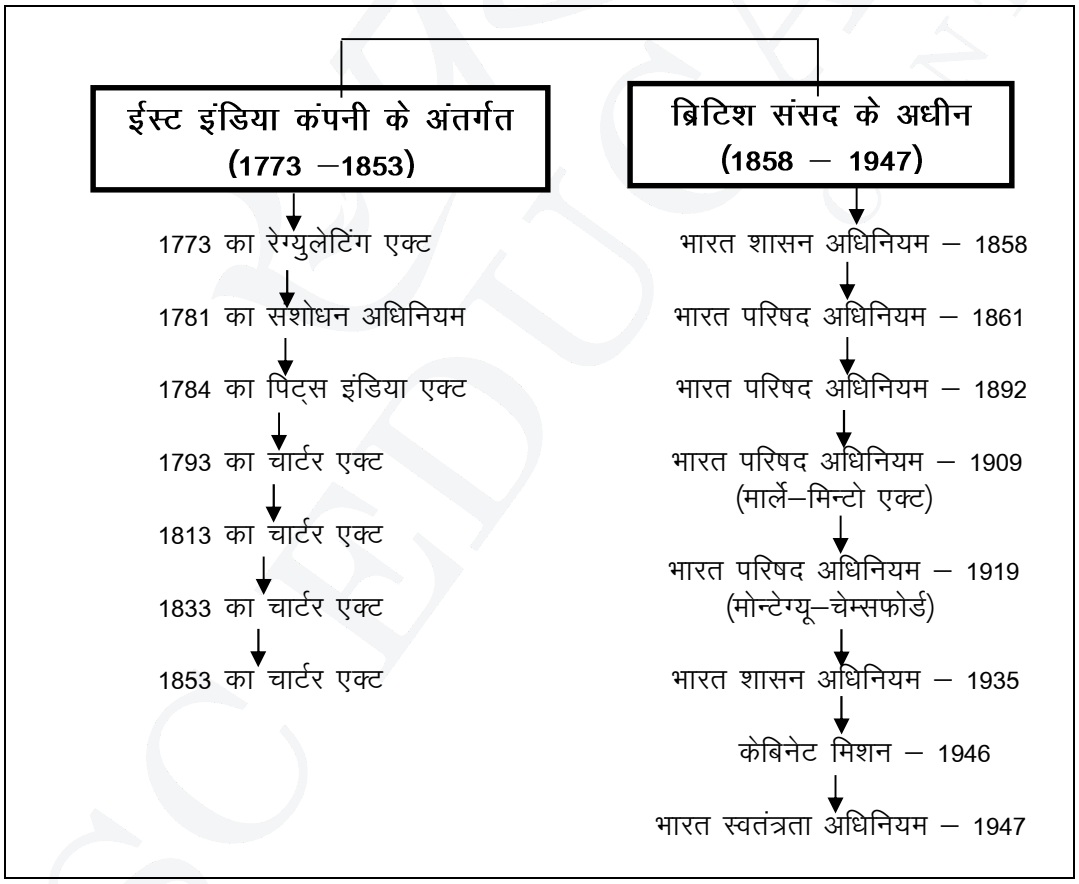


## ➢ 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट

- बंबई व मद्रास प्रेसीडेंसी को कलकत्ता प्रेसीडेंसी के अंदर रखा गया।
- बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया जो तीनों प्रेसीडेंसी का गवर्नर जनरल था।
  - ✓ प्रथम गवर्नर जनरल – वारेन हेसटिंग
- कंपनी के नियंत्रण के लिए ब्रिटेन में निदेशक मण्डल (बोर्ड ऑफ डायरेक्ट) का गठन किया गया।
- गवर्नर जनरल की साहयता करने के लिए 4 सदस्यी परिषद का गठन किया गया।
- पहली बार कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित की गयी।
- इसी एक्ट के तहत् कलकत्ता मे 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गयी। सर एलीजा एम्पे – पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
- ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियो के नीजि व्यापार बंद कर दिये गये।

## ➢ 1781 का संसोधन अधिनियम (एक्ट ऑफ सेटलमेंट)

- 1781 के रेग्लुयुटेटिग एक्ट की कमियों को दुर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया।
- कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और ओड़िसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया।
- गवर्नर जनरल व उनकी कार्यकारी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्ति दी गयी।
  **उदा.** :– राजस्व मामलो से मुक्ति दी गई।
- गवर्नर जनरल द्वारा बनाये गये कानून को सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नही थी।

## ➢ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

- भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरूवात हुई। कंपनी के व्यापारिक व राजनैतिक मामलों को अलग – अलग किया गया।

| निदेशक मण्डल | नियंत्रण मण्डल |
|---|---|
| ✓ व्यापारिक कार्य | ✓ राजनैतिक क्रिया कलाप के लिए |
| ✓ 4 सदस्यी | ✓ 6 सदस्यीय था<br>सैनिक/संधि/समझौते/युद्ध जैसे मामले। |

- प्रान्तीय गवर्नरो की कार्यकरणी परिषद के सदस्य 04 थे उसे घटाकर 03 कर दिया गया।
- अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन में एक कोर्ट स्थापित किया गया।

## ➢ 1793 का चार्टर एक्ट

- नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देना का निर्णय लिया गया।
- कंपनी के व्यापारिक व राजनैतिक अधिकारो को अगले 20 वर्षो के लिए बढ़ा दिया गया।

## ➢ 1813 का चार्टर एक्ट

- कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया चाय व चीन (देश) के साथ व्यापार के एकाधिकार को बनाये रखा गया।
- ईसाई मिशनरियों को भारत मे प्रचार–प्रसार करने की अनुमति दी गई।
- कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षो के लिए बढ़ा दिया गया।
- भारतीय सहित्य का पुर्नरूथान हुआ शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रूपये खर्च करने का उपबंध किया गया।
- कलकत्ता, बंबई व मद्रास सरकार द्वारा बनायी गयी विधि को ब्रिटिश संसद मे अनुमोदन आवश्यक कर दिया गया।

## ➢ 1833 का चार्टर एक्ट

- कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया।
- कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।
- बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गर्वनर जनरल बना दिया गया। भारत के प्रथम गर्वनर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिक थे।
- बम्बई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण ही शक्तियों को वापस ले लिया गया।
- लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता मे 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया।
- दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया।
- विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया।

### ➢ 1853 का चार्टर एक्ट

- अंतिम चार्टर एक्ट था इसमे पिछले चार्टर एक्ट की तरह समयावधि का निर्धारित नही किया गया।
- सिविल सेवको की भर्ती हेतू खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय भी शामिल हो सकते थें। पहली भारतीय जिसने यह परीक्षा पास किया था – सत्येन्द्र नाथ टैगोर।
- विधि निर्माण हेतु विधायी परिषद को कार्यकारी परिषद से अलग किया किया जिसमें एक अलग से 12 सदस्यीय विधायी परिषद की स्थापना की गयी।
- निदेशक मण्डल से नौकरी देने का अधिकार लिया गया।
- गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बना दिया गया।
- निर्देशक मण्डल के सदस्यों की संख्या 24 से कम कर 18 कर दी गयी।

## ब्रिटिश संसद का शासन
## ( 1857 - 1947 )

### ➢ भारत शासन अधिनियम 1858

- ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया कंपनी को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। निदेशक मण्डल व नियंत्रण मण्डल को समाप्त किया गया द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया।
- ब्रिटिश संसद में भारत सचिव का पद सृजित किया गया और उनकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यी भारत परिषद का गठन किया गया जिसमें 8 सदस्य ब्रिटेन के क्राउन तथा शेष 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टर द्वारा चयन किये जाते थे।
- सचिव व परिषद के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था।
- भारत के गर्वनर जनरल को वायसराय कहा गया क्योंकि अब वह भारत सचिव की आज्ञानुसार कार्य करता था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने।
- 1858 को महारानी की घोषणा को शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्नाकाटा कहा।

### ➢ भारत परिषद अधिनियम 1861

- 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस कानून के माध्यम से सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता (Benevolent Desposition) प्रारंभ हुआ।
- विधायी परिषद मे अब भारतीय भी शामिल किये गये। भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया। विधायी परिषद की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। (भारतीय आलोचना नहीं कर सकते थे, विचार रख सकते थे) शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य :–
  1. बनारस के राजा
  2. पटियाला के महाराजा
  3. सर दिनकर राव
- वायसराय को नये प्रांत की स्थापना व सीमा परिवर्तन का अधिकार दिया गया जो वहां गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त कर सकता था।
- विकेन्द्रीकरण की शुरूवात की गई। प्रांतो को उनकी शक्ति वापस दी गई। प्रांतो में भी विधायी परिषद का निर्माण किया गया।
- लार्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरूवात की गई। मत्रीमण्डल गठन किया गया (रेल, कृषि, शिक्षा, आदि)।
- वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया (संकटकाल में)।
- केन्द्रीय कार्यकारिणी की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई।
- बम्बई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण ही शक्तियों को वापस दे दिया गया। विकेन्द्रीयकरण की शुरूआत हुई।

## ➢ भारत परिषद अधिनियम 1892

- विधायी परिषद मे सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गयी। प्रांतों के विधायी परिषद में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई जिसमें अंग्रेज अब भी बहुमत में थे।
- भारतीय सदस्यों को बजट में बहस करने की शक्ति दी गई। किंतु भारतीय पूरक प्रश्न नही पुछ सकते थे।
- अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरूआत की गई।

## ➢ भारत परिषद अधिनियम – 1909 (मार्ले – मिन्टो सुधार)

- इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव (मार्ले) तथा वायसराय (मिन्टो) के नाम पर मार्ले–मिन्टो सुधार अधिनियम कहा जाता है।
- केन्द्रीय विधायी परिषद में सदस्य की संख्या 16 से 60 कर दी गई। भारतीयों को अनु पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति दी गयी।
- मुस्लिमों के लिय पृथक निर्वाचित प्रणाली बनायी गयी।
- भारत परिषद तथा वासराय के कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय शामिल किये गए।
- पहले भारतीय – सत्येन्द्र प्रधान सिन्हा विधिक सदस्य के रूप में वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया।
- भारतीय परिषद में पहली बार शामिल किये गए भारतीय :– **1.** के.सी. गुप्ता **2.** सैय्यद हुसैन विलग्रामी।

## ➢ भारत शासन अधिनियम 1919 (मोन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार)

- केन्द्रीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था प्रांरभ की गई। केन्द्रीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद तथा विधानसभा वाले द्विसदनीय विधानमण्डल ने ले लिया।
- प्रांतो मे द्वैधशासन प्रणाली की शुरूवात की गई। इसके लिए केन्द्रीय और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया।
  1. **हस्तांरित विषय** –
     - ✓ ऐसे विषय रखे गये जिनके लिए गवर्नर को विधायी परिषद में उत्तर देना होता था। (भू.–राजस्व, कृषि, स्वास्थ, शिक्षा) भारतीय मंत्रियों से सलाह लिया जाता था।
  2. **आरक्षित विषय** –
     - ✓ ऐसे विषय जिनके लिए गवर्नर विधायी परिषद के लिए उत्तरदायी नही थे। (राजस्व, वित्त, न्याय, पुलिस)
- इसी अधिनियम में लोक सेवा आयोग 1926 का गठन किया गया। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया।
- केन्द्रीय बजट को प्रांतो से अलग किया गया।
- इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनायी गयी। महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया तथा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिक्खों, आंग्ल भारतीय, ईसाइयों व यूरोपीयों पर भी लागू किया गया।

## ➢ भारत सरकार अधिनियम 1935

- यह भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए बहुत मददगार हुआ।
- इस अधिनियम में – 321 अनूच्छेद, 10 अनुसूची और 14 भाग थे।
- प्रांतो में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया तथा केन्द्र में द्वैध शासन लागु किया गया। विषयों को रक्षित तथा हस्तांतरित में वर्गीकृत किया गया।
  1. **हस्तांरित** – वायसराय, मंत्रीपरिषद से सलाह लेता था, जिस पर वह विधायी परिषद के प्रति उत्तदायी था।
  2. **रक्षित** – वायसराय, कार्यकारी परिषद की सलाह से कार्य करता था, जिससे विधायी परिषद के प्रति उत्तरादायी नही था। ऐसे विषयों में वह सिर्फ ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था।
- भारत संघ बनाने की पहली बार कोशिश की गयी जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांतो, 6 कमिश्नरों तथा देशी रियासतों को स्वेच्छा से शामिल होने कहा गया किन्तु रियासतो के स्वेच्छा से विलय नही होने के कारण भारत संघ अस्तित्व में नही आ पाया।
- इसी के तहत् संधीय न्यायालय बनाया गया। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी।

- भारत परिषद का अंत कर दिया गया, केवल भारत सचिव का पद रहा।
- इसी अधिनियम के माध्यम से सभी प्रांतो का चुनाव हुआ और विधानसभा का गठन किया गया। प्रांतो में द्विसदनीय विधानमण्डल की स्थापना की गयी।
- प्रांतों में स्वायत शासन की स्थापना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी प्राप्तीय विषयों पर विधि बनाने का अत्यान्तिक अधिकार प्रांतों को दिया गया तथा उन पर से केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया।
- केंद्र तथा प्रांतीय शक्तियों का विभाजन हुआ जिसमें 3 सूची संघ सूची (59 विषय), प्रांतीय सूची (54 विषय) तथा समवर्ती सूची (36 विषय) बनाया गया।
- सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया जिसमें हरिजनों व मजदूर वर्ग को भी शामिल किया गया।

## ➢ Note :-

- 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत सभी प्रांतों में चुनाव हुआ। सभी प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन हुआ जो 28 माह तक शासन में रहने के बाद लगभग सभी प्रांतों ने त्यागपत्र दे दिया कारण था बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाना। इसी के पश्चात 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रुप में मनाया।
- तत्कालीक वायसराय लार्ड लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया जिसमें कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया।
- **क्रिप्स मिशन 1942** :– द्वितीय विश्वयुद्ध के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्टर्न चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु भारत भेजा जिन्होंने प्रस्ताव दिया कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने ठुकराया दिया।
- **वेवेल योजना एवं शिमला समझौता** :– भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता को देखते हुए तत्कालिक वयसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा 4 जून 1945 को व्यवहार योजना प्रस्तुत किया गया। जिनके अनुसार 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया इस सम्मेलन को 14 जुलाई 1945 को विफल घोषित कर दिया गया।